

राजस्थान सरकार
॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर ॥

क्रमांक : एफ()2021-22/एफसीए/उवसंसी/

12975

दिनांक :- 16-12-2021

निमित्त :- मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषय:- PROPOSED DIVERSION OF 0.9060 HECT. AREA FOR CONSTRUCTION OF Missing link B.T. road from "Laxmangarh salasar to rajas via chouhano ki Dhani, Gouru ka bas, KHEJAROLIYAN KI DHANI & MIYAN KI DHANI" IN RAJAS P.F., RANGE-LAXMANGARH, TEHSIL- LAXMANGARH, DISTT- SIKAR (RAJ.)
PROPOSAL NO. FP/RJ/ROAD/33785/2018

संदर्भ:-वन संरक्षक, जयपुर का ई.डी.एस. दिनांक 07.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उपरोक्त डायवर्जन प्रस्ताव में वन संरक्षक, जयपुर द्वारा दिनांक 07.12.2021 को लगाये गये ई.डी.एस. का प्रतिउत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्र. सं.	ईडीएस बिन्दु	प्रतिउत्तर
1	CCF has to remove his old site inspection report from Part- II of the proposal and upload new site inspection report.	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
2	DCF has given enumeration report of 20 trees only while 300 trees reported by DCF in his recommendation. This is contradictory. CA scheme has also needs to be revised accordingly.	डायवर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 0.9060 हे० में खड़ी वन संपदा की गणना रिपोर्ट में 20 पेड़ स्थित है एवं 300 मीटर लंबाई में वर्ष 2020-21 में एस.डी.एस. योजनान्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण के तहत 150 पौधे रोपित हैं। जो बहुत छोटे हैं, उक्त रोपित पौधों पर अब तक हुये व्यय की राशि 8390 रुपये की मांग की गयी है। इस प्रकार डायवर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में स्थित 20 पेड़ों की एवज में 10 गुना 200 वृक्षों का ही सीए प्लान दिया गया है, जो सही है।
3	Proposal number and name should be given in undertaking of deemed forest.	डीमड फोरेस्ट की अंडरटैकिंग में प्रस्ताव का नाम व संख्या का पूर्ण विवरण दे दिया गया है। अंडरटैकिंग पुनः अपलोड कर दी गयी है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर
दिनांक :-

क्रमांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि जब तक प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उक्त भूमि में कोई गैर-वानिकी कार्य न हो, यह सुनिश्चित करें।

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर

Full Title of the Project : CONSTRUCTION OF MISSING LINK ROAD FROM "LAXMANGARH - SALASAR TO RAJAS VIA CHOUHANO KI DHANI ,GOURU KA BAS, KHEJAROLIYAN KI DHANI & MIYAN KI DHANI" IN RAJAS P.F. ,
File No. : FP/RJ/ROAD/33785/2018
Date of Proposal : 12-6-2018

"Deemed Forest Certificate"

It is to certify that No "Deemed Forest" falls in the area of the complete project.

Place :Sikar

Date : 12.12.2021


Divisional Forests Officer

(भीम राम चौधरी)
उप वन संरक्षक
Forest Division

Office Seal

सीकर
